न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2014/164

गोबरी लाल आत्मज श्री सुवालाल जाति महाजन निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. शोजी आत्मज भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा ।
2. फूला बाई पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी श्योकरण निवासी सूरगती ।
3. तुलसी पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी जुवारा निवाई भजनेरी ।
4. रोशन बाई पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी सुवा निवासी पाई ।
5. श्रीमती फोरू पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी सुवा निवीस पाई ।
6. हरदेव आत्मज सोनी जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा (मृतक) के उत्तराधिकारी–
   6/1. रामकिशन आत्मज हरदेव जातिम ीणा निवासी खेडा मानपुरा ।
   6/2. पप्पू आत्मज हरदेव जाति मीणा निवीस खेडा मानपुरा ।
7. प्रभू आत्मज बाला जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा (मृतक) के उत्तराधिकारी –
   7/1. रामसहाय आत्मज प्रभू जाति धाकड निवासी खेडामानुपरा ।
8. भंवरलाल आत्मज शौकसना जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा ।
9. फूली पुत्री शौकसना जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा पत्नी दुर्गा निवासी सुरगली।
10. सन्ता पुत्री शौकसना जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा सीताराम डाबटा ।
11. नरसी आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा ।
12. कमला पुत्री नाथू जाति धाकड निवी खेडा मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी पत्नी गोमदा निवीस डाकून पंचायत भजनेरी ।

----रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2014/166

पदम कुमार आत्मज गोबरी लाल महाजन निवासी नैनवा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. शोजी आत्मज भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा ।

2. फूला बाई पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी श्योकरण निवासी सूरगती ।
3. तुलसी पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी जुवारा निवाई भजनेरी ।
4. रोशन बाई पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी सुवा निवासी पाई ।
5. श्रीमती फोरू पुत्री भैरू जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा पत्नी सुवा निवीस पाई ।
6. हरदेव आत्मज सोनी जाति मीणा निवासी खेडा मानपुरा (मृतक) के उत्तराधिकारी–
   6/1. रामकिशन आत्मज हरदेव जातिम ीणा निवासी खेडा मानपुरा ।
   6/2. पप्पू आत्मज हरदेव जाति मीणा निवीस खेडा मानपुरा ।
7. प्रभू आत्मज बाला जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा (मृतक) के उत्तराधिकारी –
   7/1. रामसहाय आत्मज प्रभू जाति धाकड निवासी खेडामानुपरा ।
8. भंवरलाल आत्मज शौकसना जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा ।
9. फूली पुत्री शौकसना जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा पत्नी दुर्गा निवासी सुरगली।
10. सन्ता पुत्री शौकसना जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा सीताराम डाबटा ।
11. नरसी आत्मज नाथू जाति धाकड निवासी खेडा मानपुरा ।
12. कमला पुत्री नाथू जाति धाकड निवी खेडा मानपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी पत्नी गोमदा निवीस डाकून पंचायत भजनेरी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री गिरधर गोपाल शर्मा, अभिभभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय

दिनांकः 18.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र आदेश 21 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आवं का खेडा में खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा जो वादी की

आवंटनशुदा है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 02 बिस्वा बाबत् वादी के हितों एवं काश्तकारी अधिकारों में प्रतिपक्षियों द्वारा न तो दखलन्दाजी की जावे और न ही करवायी जावे । मुताबिक डिक्री दिनांक 29.08.2002 की पालना करवायी जावे ।

4. अप्रार्थी शोजी लाल ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12.05.2014 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2014 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त कार्यवाही आदेश 21 नियम 32 व धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत पेश की गई थी । प्रिंटेड फार्म में इजराय आदेश 21 नियम 11 सीपीसी अंकित होने मात्र से उक्त इजराय आदेश 21 नियम 22 में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज करने में परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा उक्त कार्यवाही आदेश 21 नियम 32 व धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत पेश की गई थी । प्रिंटेड फार्म में इजराय आदेश 21 नियम 11 सीपीसी अंकित होने मात्र से उक्त इजराय आदेश 21 नियम 22 में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज करने में परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है । परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि गलत धारा लिखने मात्र से इजराय खारिज योग्य नहीं है । परीक्षण न्यायालय को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत इजराय की पालना करनी चाहिए थी । उक्त इजराय प्रार्थना पत्र में मिसल नम्बर 50/80 एवं उनवान लिखा था । इजराय प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था । स्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में लिमिटेशन नहीं होती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 निरस्त फरमाया जावे । उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2002 की पालना सुनिश्चित करावाई जावे तथा मदयूनान को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त भूमि पर बलपूर्वक कब्जा नहीं करे तथा जवाबदावे के आधार पर मदयूनान द्वारा आदेश की अवहेलना सिद्ध है इस कारण उन्हें दीवानी जैल भिजवाये । विकल्प में यह भी निवेदन है कि पुनः जॉच हेतु उक्त प्रकरण परीक्षण न्यायालय में भिजवाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1964 पेज 101, डीएनजे 2021 (4) (एससी) पेज 1277 उद्धरत की।

9. रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह उल्लेख नहीं किया है कि डिक्री किस न्यायालय की है व किस प्रकृति

की है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 बहाल रखा जावे । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई न्यायिक दृष्टांत अपीलान्ट के कथनों के खण्डन में प्रस्तुत नहीं किये ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी नैनवा द्वारा पारित डिक्री दिनांक 29.08.2002 की इजराय के लिए आवेदन पत्र आदेश 21 नियम 11 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर कथन कर डिक्री दिनांक 29.08.2002 की इजराय करवाये जाने का कथन किया जिसे परीक्षण न्यायालय ने खारिज कर दिया । प्रिंटेड फार्म में इजराय आदेश 21 नियम 11 सीपीसी अंकित होने मात्र से उक्त इजराय आदेश 21 नियम 11 में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज करने में परीक्षण न्यायालय ने त्रुटि की है । हम विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1964 पेज 101 व डीएनने 2021 (एससी) पेज 1277 से सहमत हैं । केवल किसी लिपिकीय तकनीकी त्रुटि के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज करना उचित नहीं है । प्रार्थना में लिखित विषय–वस्तु भी महत्वपूर्ण है, जिस पर अवलोकन करना चाहिए । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में डिक्री व निर्णय दिनांक 29.08.2002 संलग्न है । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 07.11.2013 की प्रति भी संलग्न है । परीक्षण न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि केवल तकनीकी रूप से गलत धारा लिखने मात्र से इजराय खारिज करना उचित नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं । अपीलान्ट स्पष्ट प्रावधानों एवं दस्तावेजों को परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2014/00164 एवं 2014/00166 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.05.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की पुनः विधि सम्मत रूप से जॉच/परीक्षण कर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 26.12.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा